Email: directoracad.cbse@nic.in
Website: www.cbseacademic.nic.in

Tel: 011-23212603
Tel: 011-23234324

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resources Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17 Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./सं.नि.एवं प्रभारी.(शै.एवं प्र.)/2014 **22 मई, 2015**

परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 22/2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध

सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त सभी विद्यालयों में विशिष्ट विद्यार्थियों से सम्बंधित प्रकरणों के लिए "विद्यालय समावेशन समिति'' का गठन |

प्रिय प्रधानाचार्य,

शिक्षा के अधिकार अधिनियम -2009 के खंड 3 व खंड 8 और 9 के उपखण्ड (C) और नि:शक्त जन अधिनियम (1995) के अन्तर्गत, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कर रहा है जिनसे विद्यालय पद्धति में उनकी सक्रिय और सफल प्रतिभागिता सुनिश्चित हो सके | यह बहुधा देखा गया है कि ये व्यवस्थायें लक्ष्य-समूह तक नहीं पहुँच रही हैं और समावेशित शिक्षा में विद्यार्थी और हितधारक गलत अर्थ निकाल रहे हैं | इन तथ्यों के प्रकाश में सभी विद्यालयों को यह सलाह दी जाती है कि वे विद्यालय समावेशन समिति का गठन करें जिसमें निम्नलिखित चार सदस्य हों –

1. विद्यालय परामर्शदाता
2. विशेष शिक्षक
3. अध्यापक प्रतिनिधि
4. प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य इस समिति के अध्यक्ष होंगें | इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे-

1. एक सुगमकर्ता की तरह समावेशित शिक्षा को विद्यालयी स्तर और पड़ोस में प्रोत्साहित करना, और
2. समाज के वंचित समूह तथा निर्बल वर्ग के संदर्भ में एक निर्दिष्ट एजेंसी की तरह काम करना।

विद्यालय स्तर पर यह समिति निम्नलिखित सभी विषयों पर ध्यान देगी:

1. प्रवेश
2. कक्षा-व्यवस्था
3. पाठ्यचर्या व्यवहार
4. परीक्षा में छूट
5. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के हित संरक्षण हेतु अन्य विषय

समानता के महत्त्व पर कथित समिति सार्वजनिक सजगता बढ़ाने के लिए, असमानता को समाप्त करने और अन्य किसी भी प्रकार के संतापन को रोकने के लिए और किसी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को विद्यालय में उत्पीड़न से बचाने के लिए भी उचित कदम उठायेगी |
बोर्ड उपरोक्त को कार्यान्वित करने के लिए विद्यालयों से प्राप्त सहयोग की सराहना करेगा |

हस्ताक्षरित /-

डी .टी. सुदर्शन राव

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शैक्षणिक और प्रशिक्षण)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ कि अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें:

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु।
13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
17 शिक्षा अधिकारी (CBSE-i) को इस अनुरोध के साथ कि इसे के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।
18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
19 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
20 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
21 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
22 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
23 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
24 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
25 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
26 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
27 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
28 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शैक्षणिक और प्रशिक्षण)